Towards a new dawn

मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ

मार्गदर्शिका

सी.डी.पी.एस.एम.,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

''मानव तस्करी विरोधी
एवं
गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ''

संकलन

विश्वास शर्मा

परामर्शद्, यूनिसेफ

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन
राजीव दासोत
निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन
अनुकृति उज्जैनियाँ
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

संकलन
विश्वास शर्मा
परामर्शद् यूनिसेफ
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

प्रकाशन
राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरु नगर, जयपुर

राजीव दासोत
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक

राजस्थान पुलिस अकादमी,
नेहरू नगर, जयपुर

संदेश

मानव तस्करी का अपराध एक विश्व व्यापक संगठित अपराध है, जो किसी न किसी रूप में सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार या शोषण एक ऐसा घृणित अपराध है जो प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी समाज के समक्ष बड़ी चुनौती है। मानव तस्करी के अपराध से पीड़ित को इस दुष्चक्र में फंसने के बाद अनेक अपराधों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह अपराध यथार्थ में पूरी श्रंखला है जिसमें क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक अनेक अपराध कारित होते है।

भारत में मानव व्यापार की समस्या समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा आहत करती है एंव उनके मानवाधिकारों का हनन कर उनके संवैधानिक अधिकारों, समानता व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करती है। मानव तस्करी के अपराध की रोकथाम, पीड़ित का बचाव कर उसकी सुरक्षा, प्रकरणों का प्रभावी अनुसंधान व दोषियों को सजा दिलाने, पीड़ित को आश्रय उपलब्ध कराने, पीड़ित के पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण हेतु, पुलिस, न्यायपालिका, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक नेतृत्व, गैर सरकारी संगठनों, श्रम व महिला एवं बाल विकास विभाग आदि में

बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इस सबके समन्वित प्रयासों से ही मानव तस्करी का उन्मूलन संभव है।

यह पुस्तक **"मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ"** 'सेन्टर फॉर सोशल डिफेन्स एण्ड जेण्डर स्टडीज' राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा एक संक्षिप्त प्रयास है जो पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए इस विषय पर कानूनी ज्ञान एवं समझ बनाने के साथ ही इस क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

राजीव दासोत
निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

प्रस्तावना

मानव तस्करी का अपराध मानव सभ्यता में विद्यमान प्राचीनतम अपराधों में से एक है। आज विश्व में हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी के पश्चात् मानव तस्करी तीसरा बड़ा संगठित अपराध है, जिसमें मानव का एक वस्तु की भाँति व्यापार एवं गैर कानूनी गतिविधियों में उपयोग हो रहा है एवं समाज का सबसे कमजोर वर्ग महिलाएँ व बालक इससे प्रभावित हो रहे हैं। बालकों एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम हेतु हुए सार्क कन्वेशन 2002, गोआ चिल्ड्रन एक्ट 2003 एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में मानव तस्करी को परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार समग्र रूप से धमकी, बलप्रयोग अथवा जबरदस्ती नियन्त्रण अथवा छल, धोखा अथवा शक्ति का दुरूपयोग व कमजोरी का फायदा उठाकर मौद्रिक तथा अन्य लाभ के लिए देश के भीतर या बाहर बालकों व महिलाओं को प्राप्त करना, भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण एवं बंधक बनाना मानव तस्करी है। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है।

मानव तस्करी प्रमुखतः अनुचित तरीकों या साधनो का प्रयोग करके, व्यवसायिक लैंगिक शोषण, श्रम हेतु शोषण, भीख मंगवाना, मानव अंग प्रत्यारोपण, घरेलू कार्य हेतु, गोद लेने के लिए, शादी का झासा देकर, तस्करी की जाती है। राजस्थान में आरीतारी, जरी का काम, चुड़ी बनाने का कार्य, ईंट भट्टा उद्योग, कारपेट उद्योग, बीड़ी निर्माण जैसे अनेक कार्यों में भारी मात्रा में बाल श्रमिक भी लिप्त है। बाल श्रमिकों को तस्करी कर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड आदि राज्यों से लाकर नियोजित किया जाता है। मानव तस्करी के प्रमुख कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, शिक्षा का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, व्यवसायिकरण, शहरीकरण, कानून की अपर्याप्त जानकारी, टूटे परिवार, औद्योगिकरण, मांग एवं पूर्ति तत्व की अधिकता आदि है।

मानव तस्करी के निवारण हेतु भारत की अपराधिक विधियों में कई कानूनी प्रावधान है, जिनमें भारतीय दण्ड संहिता 1861, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986, बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976, अन्तरर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के रोजगार की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1979, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, किशोर न्याय देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2000, मानव अधिकार

संरक्षण अधिनियम 1993 प्रमुख है। जिसमें पुलिस एवं अन्य विभागों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मानव तस्करी के अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही हेतु राजस्थान में मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है फिर भी मानव तस्करी के अपराध को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों को साथ मिलकर प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

❑❑❑

मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ

राजस्थान में मानव तस्करी के अपराधों की रोकथाम, अपराध से मुक्त कराये गये पीड़ितों की सुरक्षा एवं न्यायालय में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी अभियोजन हेतु मानव तस्करी विरोधी यूनिट का गठन किया गया। वर्ष 2015 में गुमशुदा व्यक्ति एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट को एक कर इसका नाम "मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ" रखा गया। राजस्थान के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है ।

संरचना

प्रत्येक जिले में कार्यरत मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ के लिए निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

- प्रत्येक जिले में स्थापित इस प्रकोष्ठ में 1 पुलिस निरीक्षक, 1 उपनिरीक्षक, 2 हैड़ कानि. एवं 6 कानि0 मय ड्राईवर के कार्यरत होंगे।
- मानव तस्करी विरोधी यूनिट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही खोली जावेगी। यदि कार्यालय में जगह की कमी हो तो पुलिस नियन्त्रण कक्ष या पुलिस लाईन में खोली जावें।
- मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करेगी। अति0 पुलिस अधीक्षक यूनिट का जिला नोडल अधिकारी होगा। मुख्यालय पर एक से अधिक अति0 पुलिस

मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ के दायित्व

- मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ मानव तस्करी से सम्बन्धित निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेगें:–
  - (a) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34,344,363ए, 366ए, 370, 371, 372, 373, 376, 376डी,
  - (b) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 5ए, 5बी, 5सी, 6,7,व 8
  - (c) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 16,17,18, 20 व 23
  - (d) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1), 14(2), व 14(3)
  - (e) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1986 की धारा 18(1), 18(2), 19, 20, 21(1), व 21(2)
  - (f) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11(1) व 11(2)
  - (g) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 की धारा 4, 5(जी) 6, 7, 8, 10 व 17
  - (h) मनी लान्ड्रिंग (निवारण) अधिनियम 2002 की धारा 3, 4, अन्य सम्बन्धित अधिनियम
  - (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (iv)

(j) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 24(1) 24(2) 25 व 26 (अन्य संबन्धित धाराऐं)

- मानव तस्करी से सम्बन्धित अपराध का अनुसंधान संगठित अपराध के दृष्टिकोण से किया जावें अर्थात मानव तस्करी से जुडी सभी अग्रगामी एवं पश्चगामी कड़ियों का पता लगाया जावें ताकि सम्पूर्ण नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जा सकें।
- मानव तस्करी यूनिट के नोडल अधिकारी द्वारा मानव तस्करी विरोधी कार्यों के लिए संबंधित सरकारी विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, आदि ऐजेन्सियों से सतत् सम्पर्क रखा जावें तथा स्वयं सेवी संगठनो पीड़ितों तथा मानव तस्करी विरोधी यूनिट के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करें।
- मानव तस्करी विरोधी यूनिट में समाज कल्याण विभाग व स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य भी शामिल किये जावें। जिला पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर समाज कल्याण विभाग का अधिकारी इस यूनिट में मनोनीत करावें।
- जिला पुलिस अधीक्षक एवं नोड़ल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह जिला मानव तस्करी विरोधी यूनिट के कार्यों की समीक्षा की जावें। उक्त समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी संगठनों को भी सम्मिलित किया जावें।

- मानव तस्करी के संभावित पॉकेट्स का चिन्हीकरण कर अपराध के संबंध में आसूचना एकत्रित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जावें।
- मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाने के लिए ट्राजिट एरिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड़, ईट भट्टे, फैक्ट्री एरिया, आदि स्थलों पर निगरानी रखी जावें।
- ऐसे स्थानों में मुख्यतः होटल, गेस्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, ट्रेवल एजेन्सियाँ, ईट भट्टे, विदेश भेजने वाले एजेण्टों के कार्यालय आदि स्थानों पर निरन्तर निगरानी रखी जावें।
- आसूचना एकत्रित करने के कार्य में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों, एनजीओ, मीडिया आदि का सहयोग भी लिया जा सकता है।
- ऐसे स्थानों पर निकटतम निगरानी रखने के लिए एक विशेष कार्यदल का गठन किया जावें।
- गठित किए गए कार्य दल को कार्ययोजना के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया जाना चाहिए तथा समय–समय पर उनसे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।
- मानव तस्करी के अभियुक्तों एवं संगठित गिरोह का डाटाबेस तैयार किया जावें जिसमें मानव तस्कर, खरीददार, बेचने वाले, आश्रय देने वाले ग्राहक वित्त प्रदाता आदि शामिल हैं।

- मानव तस्करी यूनिट के द्वारा मानव तस्करी के पीड़ितों का डाटा भी संधारित किया जायेगा ताकि मानव तस्करी पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा सकें।
- जिन स्थानों को मानव तस्करी के किए जाने के स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है उन स्थानों की तलाशी लिए जाने से पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जावें।
- यदि आवश्यक हो तो बाल कल्याण समिति के सदस्यों को कार्यवाही के दौरान साथ रखा जावें।
- तलाशी के दौरान काम आने वाली आवश्यक सामग्री व साधनों, पर्याप्त वाहनों, विडियो कैमरा मय विडियोग्राफर के साथ लिया जाना चाहिए।
- रिहा या मुक्त करवाये गए लोगों के पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
- पीड़ित स्त्रियों को मीडिया के सामने नहीं ले जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जावें कि उनकी पहचान सार्वजनिक न हों।
- मानव तस्करी के दर्ज प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जावें ।

मानव तस्करी प्रकरणों में पुलिस की भूमिका

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन संख्या 75/12 बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 10.05.2013 को यह आदेश दिया है कि बच्चों की गुमशुदगी के प्रत्येक प्रकरण को पुलिस द्वारा प्रारम्भिक तौर पर यह माना जावे कि गुमशुदा बच्चे का अपहरण/मानव तस्करी किया गया है।

- मानव तस्करी से संबंधित प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज की जावें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित के बयान, रिहा करवाये गए किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के परिजनों द्वारा एवं रेड की कार्यवाही के आधार पर भी दर्ज की जा सकती है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही पुलिस अंकित करनी चाहिए।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता या अन्य अधिनियमों की उचित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करना चाहिए।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षियों तथा साक्ष्यों का पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए।
- रिहा करवाये गए व्यक्तियों से तसल्लीपूर्वक बातचीत कर उनके बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत लेने चाहिए।

- यदि आवश्यक हो तो बयानों की विडियोग्राफी करवाई जानी चाहिए।
- प्रकरण के अनुसार 164 सीआरपीसी के तहत बयान लेखबद्ध करवाये जाने चाहिए।
- बयान लेते समय भाषा की समस्या होने पर दुभाषिये की सहायता ली जाकर बयान लेने चाहिए।
- महिलाओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिए जाने चाहिए।
- यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो बयान उसके परिजन या किसी संगठन की महिला सदस्य के सामने लेने चाहिए।
- महिला के बयान लेने हेतु उसे थाने पर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ सहज हो उसके बयान वहीं दर्ज करने चाहिए।
- महिला के बयान लेते समय उसकी लज्जा का ध्यान रखते हुए अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए।
- बच्चों के बयान प्रश्नोतरी के रूप में उसके परिजनों के सामने लिए जाने चाहिए।
- रिहा करवाये गये व्यक्ति या महिला या बच्चों का अतिशीघ्र मेडिकल मुआयना करवाया जाना चाहिए।

- आवश्यक हो तो उनका उम्र संबंधी मुआयना भी करवाया जाना चाहिए।
- नाबालिग बालकों के प्रकरण में उम्र संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर लिया जाना चाहिए।
- चिकित्सक द्वारा मेडिकल मुआयने के दौरान यदि कोई नमूने जब्त किए हैं तथा उनके संबंध में कोई विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है तो नमूनों को तुरन्त जांच के लिए एफएसएल भिजवाये जाने चाहिए।
- घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर घटना का सम्पूर्ण ब्यौरा हालात मौका में लिखा जावें एवं घटनास्थल की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी करवायी जावें।
- रिहा करवाये गए लोगों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अभिरक्षा के संबंध में आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।
- रिहा करवाये गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके पुर्नवास के संबंध में आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।
- महिलाओं व बालकों को अनावश्यक पुलिस थाने पर नहीं रखा जाये।
- ऐसे व्यक्ति के संरक्षक में नहीं दिया जावें जो उसे वापस गैर कानून कार्यों की ओर धकेल दें।

- दबिश के दौरान एवं इसके बाद गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जानी चाहिए।
- अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान उनके सम्पर्क सूत्रों, सहयोगियों तथा वित्तपोषकों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- अभियुक्तों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- अभियुक्तों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी का मीमों तैयार किया जाना चाहिए जिसमें संपूर्ण विवरण अंकित हो।
- अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पुलिस रिमाण्ड या न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त करना चाहिए।
- यदि अभियुक्तों से कोई बरामदगी की जानी हो तो न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाना चाहिए।
- अभियुक्तों की निशांदेही से आवश्यक साक्ष्यों की बरामदगी करनी चाहिए।
- पीड़ित के बयानों एवं अभियुक्त की पूछताछ के आधार पर वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन किया जाना चाहिए।

- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण होने पर संबंधित अभियुक्तों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 173 सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया जावें।
- आरोप पत्र में संपूर्ण अनुसंधान का सार सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- किस अभियुक्त के विरूद्ध क्या अपराध प्रमाणित पाया है, उनका उल्लेख अलग–अलग किया जाना चाहिए।
- यदि अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में किन्हीं मामलों में आरोप पत्र पेश हुआ है तो उनका संपूर्ण आपराधिक रिकार्ड संलग्न किया जाना चाहिए।
- आरोप पत्र के साथ अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई संपूर्ण साक्ष्यों को मय विवेचन के संलग्न किया जाना चाहिए।
- यदि कोई अभियुक्त फरार चल रहा है तो उसके विरूद्ध न्यायालय में उद्घोषणा जारी करवाई जाकर भगौड़ा घोषित करवाये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।
- मानव तस्करी के मामलों को केस आफिसर स्कीम में लिया जाकर उसके लिए एक योग्य अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। नियुक्त किया गया आफिसर केस की संपूर्ण कार्यवाही की मॉनिटरिंग करेगा।
- आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद पुलिस अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें कि अभियुक्तों द्वारा गवाहों को धमकाया तो

नहीं जा रहा। यदि ऐसा हो तो गवाहों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध करवायी जावे तथा अभियुक्तों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावें।

- यदि अभियुक्त की जमानत नहीं हुई और जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो जमानत का विरोध करना तथा माननीय न्यायालय को अपराध की गंभीरता से अवगत करवा कर जमानत निरस्त करवाने का निवेदन करना चाहिए।
- यदि अभियुक्त की जमानत हो जाती है तो उनके जमानतियों की जानकारी कर अभियुक्तों की गतिविधियों पर पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए।
- लोक अभियोजक से निरन्तर संपर्क में रह कर केस की प्रगति पर पूर्ण निगरानी रखी जानी चाहिए।

गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों में पुलिस की भूमिका

गुमशुदा बच्चों के गुम होने की सूचना प्राप्त होते ही की जाने वाली कार्यवाही :–

- गुमशुदा बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक रूप से दर्ज की जावें।
- दैनिक डायरी में सूचना अंकित की जावें जिसमें गुमशुदा बच्चे के माता पिता का नाम, गुमशुदा बच्चे के लिंग, उम्र, ऊँचाई, शरीर की बनावट, रंग विशेष पहचान के निशान, गुमशुदगी के

समय पहने कपड़ों का विवरण, दिनांक तथा गुमशुदा होने का संभावित समय इत्यादि अंकित हों।

- गुमशुदा बच्चों के संबंध में सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित थाने द्वारा तुरन्त पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जावें।
- गुमशुदा बच्चें की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने व गुमशुदा बच्चें का नवीनतम फोटोग्राफ समाचार पत्रों व दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित कराया जावें।
- गुमशुदा बच्चें के फोटोयुक्त पोस्टर, पम्पलेट जिले के महत्वपूर्ण स्थानों यथा बस अड्डो, रेल्वें स्टेशन, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट, बॉर्डर चैक पोस्टो पर चस्पा करवाया जावें।
- साथ ही सूचना को जिपनेट व ट्रेक दा मिंसिग चाइल्ड वेब पोर्टल पर अपलोड करवाई जावें परन्तु यदि गुमशुदा कोई बालिका हो तो उसके माता पिता की लिखित सहमति के बिना प्रचार प्रसार न किया जावें।
- क्षेत्र की मोबाईल गश्त पार्टी एवं पैदल गश्त पार्टी के अतिरिक्त पुलिस चैक–पोस्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल प्रबन्धन इत्यादि को भी सूचित किया जावें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिजनों द्वारा यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति पर संदेह का उल्लेख किया गया है तो उक्त संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जावें

- किसी बालिका के लापता होने की स्थिति में एक महिला पुलिसकर्मी को अनुसंधान अधिकारी की सहायतार्थ नियोजित किया जावें।
- गुमशुदा बच्चों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा बच्चे के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचनाएँ बच्चें के माता–पिता, संरक्षक रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति तथा विद्यालय संस्थान जहां से बच्चा लापता हुआ है, से एकत्रित की जावें।
- गुमशुदा बच्चों को आखिरी बार जहां पर व जिसके द्वारा देखा गया हो उसका भी विस्तृत विवरण अंकित किया जावें।
- गुमशुदा के विवरण में उसकी वर्तमान फोटो के साथ–साथ उसके परिवार का विवरण जिसमें यदि वह, अपने परिवार के साथ रह रहा था, बाल श्रम से छुडाया गया है या जमानत पर आजाद हुआ है, या किसी अन्य शारीरिक या मानसिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, के बारे में भी अंकित किया जावे।
- साथ ही उसके साथियों मित्रगणों के नाम, पते, यदि वह किसी स्कूल में अध्ययनरत हो तो वहां का नाम कक्षा अध्यापक का नाम व फोन नम्बर भी अंकित किया जावें। घरेलू नौकरों का विवरण भी लिखा जावें।
- गुमशुदा यदि पूर्व में भी गुम हुआ हो तो उसका विवरण व जिन स्थानों पर जाता रहा है उसका विवरण भी लिखा जावें।

- गुमशुदा बच्चे के पास यदि कोई मोबाईल फोन या एटीएम कार्ड हो तो उसकी सूचनाऐं एकत्र की जावें तथा गुमशुदा के माता पिता द्वारा उपलब्ध समस्त अभिलेखों को भी एकत्र कर उनका परीक्षण किया जावें।
- प्रकरण बालिका से सम्बन्धित होने पर अनुसंधान अधिकारी अपने इलाके में चल रहे रेड़ लाईट एरिया में भी खोजबीन कर बालिका की तलाश करें। यदि रेड लाईट एरिया में कोई बालिका बरामद हो तो उसे तुरन्त बालगृह के सुपुर्द किया जावें।
- गुमशुदा बच्चे के संबंध में भरा गया विशेष विवरण फार्म 48 घण्टे के अन्दर जिला मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ को भेजा जावें।
- जिला स्तरीय मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा उसे अगले 24 घण्टे की अवधि में एससीआरबी, राज्य स्तरीय मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ को भिजवाया जावें।
- गुमशुदा की तलाश के प्रयासों के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा समय–समय पर गुमशुदा के परिजनों को जानकारी दी जावें,
- यदि गुमशुदा का परिवार अपने वर्तमान निवास से अन्य कहीं स्थानातरित हुआ हो व जब तक गुमशुदा प्राप्त नहीं हो तब

तक अनुसंधान अधिकारी गुमशुदा के परिजनों के नये पते पर भी उनसे सम्पर्क में रहेगा।

- गुमशुदा बच्चे के सहपाठी मित्रों, रिश्तदारों, परिवारजनों व अन्य व्यक्ति जो गुमशुदा के बारे में सूचना दे सकता है की सूची बनाई जाए।
- गुमशुदा बच्चे के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जिपनेट/वेब पोर्टल चाईल्ड ट्रेक पर अपलोड के पश्चात डाक/ई–मेल के जरिये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में गुमशुदा बच्चे के परिजनों के विवरण फोन नम्बर व पते के साथ भेजी जावें।
- गुमशुदा बच्चे के इच्छित घूमने के स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, पार्लर खेल घर आदि को भी सघनता से चैक किया जावें।
- गुमशुदा आखिरी बार जहां से गुम हुआ है उन स्थान के आस–पास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिग को भी बारीकी से जांचा जावें।
- गुमशुदा बच्चे के संबंध में आस–पास के अस्पतालों का निरीक्षण किया जावें तथा वहां पर भर्ती हुए मरीजों व अज्ञात लावारिस लाशों, घायल व्यक्तियों से भी फोटो एवं विवरण का मिलान कराया जावें।

- गुमशुदा बच्चे के गुम होने के स्थान के नजदीकी पुलिस थानों में मिली अज्ञात लावारिस लाशों से भी गुमशुदा का मिलान कराया जावें व उनसे यह भी मालूम किया जावें कि क्या उनके द्वारा किसी अज्ञात लावारिस घायल/मतृक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
- गुमशुदा बच्चे के संबंध में शहर के अनाथालय, चिल्ड्रन होम, रैन बसेरा, नारी निकेतन, मूक बधिर संस्थान आश्रमों, रोजगार संस्थानों, एन.जी.ओ., मस्जिद, बाल कल्याण समिति इत्यादि के रिकार्ड लिए जावें।
- गुमशुदा बच्चे के परिजनों से निरन्तर सम्पर्क रखा जावें, अगर किसी फिरौती की मांग अपहरण के संबंध में कोई सूचना उनके द्वारा दी जावें या गुमशुदा के संबंध में कोई सुराग दिया जावें तो उसके अनुसार त्वरित कार्यवाही हो।
- प्रत्येक गुमशुदा के संबंध में अलग से एक पत्रावली खोली जावें जिसमें बच्चे के फोटोग्राफ शिकायत की गई सूचना की कॉपी, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, वायरलैस मैसेज की प्रति, प्रत्येक दिन किए गए प्रगति, प्रयासों का विवरण अंकित किया जावें।
- गुमशुदा बच्चे के संबंध में सूचना देने वालों के लिए ईनाम की घोषणा बच्चे के गुम होने की एक माह की अवधि में की जाये।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुमशुदा बच्चों के ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चार माह पश्चात भी गुमशुदा बच्चों के संबंध में बरामदगी सम्भव नहीं हो पाती है तो ऐसे प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक से 4 माह पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु जिला स्तरीय मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें।
- मानव तस्करी (बाल तस्करी) को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 व 370क में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए है जिनमें बाल तस्करी हेतु कठोर सजा का प्रावधान किए गए है। बाल तस्करी की रोकथाम हेतु इस संबंध में प्रभावी पहल की जावें।
- पीड़ित बच्चों को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके पुर्नवास की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

जब गुमशुदा बच्चा मिल जाता है तो उठाये जाने वाले कदम

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुमशुदा बच्चा जब वापस मिल जाता है या बरामद कर लिया जाता है तो उसका तत्काल फोटोग्राफी करवाया जाकर प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया व वेब साईट (जिपनेट व ट्रेक चाईल्ड वेब पोर्टल) आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें

ताकि गुमशुदा बच्चे के माता–पिता व परिजनों को इस बारे में सूचना मिल सके ताकि वह अपने बच्चे को पुलिस के संरक्षण से प्राप्त कर सके।

- गुमशुदा बच्चा जब वापस मिल जाता है तो उस स्थिति में बाल कल्याण अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को चाहिए की गुमशुदा बच्चे से किसी संगठित गिरोह या बंधुआ मजदूरी कराने वाली गिरोहों के बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। यदि ऐसे गिरोह के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरन्त अपराध शाखा या जिला स्तर पर गठित स्पेशल टीम को दी जावें।

- गुमशुदा बच्चे से अनुसंधान के दौरान मामला मानव तस्करी से संबंधित अपराध का गठित होना पाया जावें तो अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस दिशा में उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावें।

- गुमशुदा बच्चे के वापस मिलने पर बाल कल्याण अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को चाहिए कि इस संबंध में रोजनामचा आम में नोट अंकित करते हुए गुम होने की परिस्थितियों व वापस मिलने की स्थिति अंकित करते हुए पुलिस कण्ट्रोल रूम, जिला मल्टी टास्क फोर्स, ए.एच.टी.यू. जिला बाल कल्याण समिति को उस बच्चे से संबंधित अग्रिम जांच किए जाने से रोकने की सूचना दी जावें।

- वापस मिले बच्चे को तुरन्त मेडिकल परीक्षण कराया जावें एवं आवश्यक हो तो उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में भी इन्द्राज किया जावें।
- बाल कल्याण अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह वापस मिले बच्चे के परिजनों को बच्चे को किसी बाल सलाहाकार के पास ले जाकर उसे सामान्य दिनचर्या में वापस लाने का प्रयास करने हेतु सुझाव देवें।
- गुमशुदा लड़की के मामले में अगर बाल कल्याण अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी यदि महिला नहीं हो तो किसी महिला अधिकारी को ही लड़की से पूछताछ के लिए नियुक्त किया जावें। जहां तक सम्भव हो यह पूछताछ संबंधित लड़की के घर पर ही की जावें ताकि वह पारिवारिक वातावरण में सहज महसूस करें।

पर्यवेक्षण

थानाधिकारी/वृत्ताधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण

- गुमशुदा बच्चे के संबंध में थानाधिकारी/वृताधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि गुमशुदा बच्चे की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के दर्ज हो।
- गुमशुदा बच्चे के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किये गये प्रयासों का पर्यवेक्षण थानाधिकारी/वृत्ताधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के प्रथम 15 दिन तक प्रतिदिन आधार पर किया जावें।

- गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का संधारण मिसिंग रजिस्टर में किया जावें एवं प्रत्येक गुमशुदा बच्चे की पृथक से अनुसंधान पत्रावली का संधारण किया जावें।
- थानाधिकारी/वृताधिकारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व बाल कल्याण समिति के साथ समन्वयात्मक रूख रखते हुए गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना/प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर जरिये डाक/ई–मेल से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- थानाधिकारी/वृताधिकारी गुमशुदा से संबंधित सूचना थाने के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय को बच्चों के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय घोषित किया गया है अतः गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित अपराध के प्रकरणों में विचारण जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण

समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण अपने जिले में गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों की तलाश के लिए की जा रही कार्यवाही को मॉनीटर करेगें एवं गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों एवं बरामद व्यक्तियों/बच्चों की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय में निम्न प्रोफार्मा में भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

माह	गुमशुदाओं की संख्या				वापस मिले की संख्या				दर्ज मुकदमों की संख्या	गुमशुदगी रपट की संख्या	अन्य विवरण
	पुरुष	महिला	लड़के (18 वर्ष से कम)	लड़कियाँ (18 वर्ष से कम)	पुरुष	महिला	लड़के (18 वर्ष से कम)	लड़कियाँ (18 वर्ष से कम)			

रेन्ज स्तर पर पर्यवेक्षण

प्रत्येक रेंज मुख्यालय पर भी स्टॉफ ऑफिसर/उप अधीक्षक पुलिस (अपराध एवं सतर्कता) के नेतृत्व में गुमशुदा/अपहृत व्यक्तियों की तलाश हेतु एक विशेष दल का गठन किया जावें यह दल विशेष रूप से गुमशुदा बच्चों की तलाश को सदैव तैयार रहेगें। यह दल महानिरीक्षक पुलिस रेंज के निकटतम निर्देशन में कार्य करेगा।

डी.बी. रिट पिटीशन संख्या 12898–12 द्वारा श्रीमती गुलाबी बाई बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 04.04.2014 के सन्दर्भ में रेन्ज स्तर पर पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने कार्य के अतिरिक्त गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य भी सम्पादित करेगें।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर

राज्य में मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से संपादित एवं मॉनिटरिंग करने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक अति0 महानिदेशक पुलिस (मानव तस्करी विरोधी) को नियुक्त किया गया है एवं विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने हेतु 1 उप अधीक्षक पुलिस, 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षकों के पदों का सृजन किया गया है।

गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट
(MISSING PERSON REPORT)

District जिला..... PS थाना.....

Year वर्ष M.P.R.No. गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट.....Date दिनांक.....

Time समय..... पद formation Received at PS थाना पर सूचना

प्राप्ति Date दिनांक Time समय..... General Diary Reference रोजनामचा सन्दर्भ Entry No प्रविष्ट संख्या Time समय..... Date दिनांक..... Type of information सूचना का प्रकार..... Written/ Oral लिखित या मौखिक Place of occurrence घटना का स्थान..... ..... Address पता

(A) Complainant/ Informant शिकायतकर्त्ता / सूचना देने वाला

(a) Name नाम .....

(b) Father's Namc पिता का नाम .....

(c) Date of Birth जन्म दिनांक.....

(d) Address पता .....

(c) Nationality भारतीयता .....

(f) Occupation पेशा .....

(B) Missing Person's Details गुमशुदा व्यक्ति के विवरण

(a) Namc.....

(b) Father's Name पिता का नाम .....

(c) Date of Birth जन्म दिनांक.....

(d) Address पता .....

(e) Height लम्बाई .....

(f) Sex-Male/Female पुरुष / महिला.....

(g) Complexion कलर.....

Photo Graph of Missing Person
गुमशुदा व्यक्ति का फोटोग्राफ

यदि फोटोग्राफ उपलब्ध हो तो लगाये

Aflix Photograph if available

(C) CONTENTS OF M.P.R. (Attache separate sheet if required)

गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट की विषयवस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

Name of Enquiry Officer Rank MPR read given to the complainant/Informant free of cost

गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई गई। सुन कर सही लिखा शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को परिवाद की एक प्रति निशुल्क दी गई

Signature of Officer Incharge Police Station

हस्ताक्षर थानाधिकारी

Signature Thumb impression of

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला

▼ ▼ ▼

TRAFFICKING

अकादमी तम्बाकू निषेध क्षेत्र है।

Printed at : **Ankit Printers**, Jaipur - 9829933203